भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. **1671**

दिनांक 10 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात कंपनियां

1671. डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा किए जा रहे उन उपायों का ब्यौरा क्या है जो फर्मों के सुदृढ़ कार्य-निष्पादन के अनुसरण में विशेषकर आन्ध्र प्रदेश से झींगा और समुद्री खाद्य पदार्थों के निर्यातकों सहित प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की निर्यातक कंपनियों की वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए किए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने लघु एवं मध्यम आकार की खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों पर वैश्विक मांग, निर्यात प्रोत्साहन और नियामक ढांचों के प्रभाव का आकलन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) भारतीय खाद्य पदार्थ निर्यातकों के लिए सतत विकास, गुणवत्ता मानकों और बाजार पहुंच सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) इन पहलों से भारत के प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र के निर्यात, रोजगार और प्रतिस्पर्धात्मकता में किस प्रकार वृद्धि होने की उम्मीद है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ): सरकार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अधीन मत्स्य विभाग और वाणिज्य विभाग के माध्यम से, आंध्र प्रदेश में निर्यातकों सहित प्रसंस्कृत खाद्य और समुद्री खाद्य निर्यात क्षेत्र के विकास, प्रतिस्पर्धात्मकता और सततता को बढ़ावा देने के लिए कई पहलों का क्रियानवयन कर रही है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की योजनाएं, नामत: प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों सहित पूरे देश में आधुनिक प्रसंस्करण और आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना के विकास के लिए मांग आधारित वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं।

झींगा सहित मत्स्य पालन और समुद्री खाद्य निर्यात के लिए, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में क्रियानवयन किया जा रहा है। यह योजना मत्स्य पालन संबंधी अवसंरचना, मूल्य श्रृंखला, उत्पादन उपरांत और कोल्ड चेन सुविधाओं तथा क्षमता निर्माण को सहायता प्रदान करती है, और इसमें गुणवत्तापूर्ण मछली उत्पादन, जलीय कृषि का विविधीकरण, निर्यात-उन्मुख प्रजातियों का संवर्धन, रोग प्रबंधन, पता लगाने की क्षमता, कछुआ अवरोधक उपकरणों का अनिवार्य उपयोग, समुद्री संसाधनों का स्टॉक आकलन और आधुनिक उत्पादन उपरांत कटाई के बाद की अवसंरचना जैसे क्रियाकलाप शामिल हैं, जिनका उद्देश्य सतत विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का अनुपालन करना है।

कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, वाणिज्य विभाग, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के माध्यम से, निर्यात अवसंरचना के विकास, गुणवत्ता विकास और बाजार विकास के लिए अपनी वित्तीय सहायता योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एपीडा ने आंध्र प्रदेश में पंजीकृत निर्यातकों को सहायता प्रदान की है, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए हैं, अंतरराष्ट्रीय एवं घरेलू व्यापार मेलों और क्रेता-विक्रेता बैठकों में भागीदारी को सुगम बनाया है, भारतीय मूल्यवर्धित और भौगोलिक संकेतित उत्पादों की ब्रांडिंग को बढ़ावा दिया है, कृषि निर्यात स्टार्टअप्स को सहयोग देने के लिए भारती पहल शुरू की है, प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र पर एक अध्ययन किया है और कृषि-विनिमय प्लेटफ़ॉम के माध्यम से बाजार संबंधी जानकारी का प्रसार किया है।

इसके अलावा, वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट में घोषित निर्यात संवर्धन मिशन, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, पहली बार निर्यात करने वाले निर्यातकों और श्रम-प्रधान क्षेत्रों के लिए निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को सशक्त करने के लिए एक एकीकृत, परिणाम-उन्मुख फ्रेमवर्क प्रदान करता है।

सरकार वैश्विक मांग के रुझानों पर नियमित रूप से नजर रखती है। प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात वर्ष 2023 में 8,895.50 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2024 में 9,267.18 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जिसमें वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी लगभग 1.35 प्रतिशत है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने "उभरती वैश्विक अर्थव्यवस्था में समुद्री खाद्य उत्पादों की निर्यात क्षमता का आकलन" शीर्षक से एक अध्ययन भी शुरू किया है। सामूहिक रूप से, इन सभी पहलों का उद्देश्य निर्यात बढ़ाना, बाजार पहुंच और गुणवत्ता मानकों में सुधार करना, सतत विकास को बढ़ावा देना, मूल्य श्रृंखला में रोजगार सृजित करना और समुद्री खाद्य सहित भारत के प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करना है।

****